राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.37( )परावि/प्र.2/क.लि.सीधी भर्ती–13/मार्गदर्शन टोंक/17/2072 जयपुर, दिनांकः 26/5/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती, 2013 में ऑनलाईन आवेदन भरते समय मानवीय भूल से हुई त्रुटियों/गलत एन्ट्रीज में सुधार (editing) बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 6065/2017 में दिनांक 02.05.2017 को ऑनलाईन आवेदन भरते समय हुई सद्भावी गलती को सुधारने का आदेश दिया है। निर्णय का प्रभावशील भाग (Operative Part) इस प्रकार है–

''Considering the nature of mistake, which seem bona fide, the present petition is allowed and the respondents are directed to permit the petitioner to carry corrections and instead of marks of B.Com. Part-I, in column meant for Higher Secondary, marks of Higher Secondary of the petitioner be noted and corrected.''

इस तरह के कुछ अन्य प्रकरणों में भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये है। अतः न्याय हित में विभाग द्वारा यह निर्णय किया गया है कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती, 2013 में ऑनलाईन आवेदन भरते समय रही सद्भावी मानवीय भूल संबंधी न्यायिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व अपील न की जाकर न्यायिक निर्णय की पालना कर ली जावें। अतएवं समान प्रकृति के न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय आदेशों की पालना में प्रकरणवार आदेश पारित कर पालना सुनिश्चित की जावे।

त्रुटि सुधार से सम्बन्धित न्यायिक निर्णय प्राप्त होने पर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाईन मोड पर ही प्रकरण का निस्तारण करेंगे व आदेशानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित करेंगे।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

26/5
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\Letters A2.docx